Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. XI, Issue No. XXI, Apr-2016, ISSN 2230-7540

REVIEW ARTICLE

भारत में युवा अपराध का समाजशास्त्रीय अध्ययन (इंदौर के जिले के संदर्भ में)

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XI, Issue No. XXI, April-2016, ISSN 2230-7540

भारत में युवा अपराध का समाजशास्त्रीय अध्ययन (इंदौर के जिले के संदर्भ में)

Dr. Sadik M. Khan

Research Scholar (Sociology) School of Social Science, DAVV, Indore

----------------------------------x----------------------------------

प्रस्तावना

मनुष्य समाज में उत्पन्न होने वाला एक प्राणी है, एतदर्थ सामाजिक परिवृत्त से घिरे होने के कारण समाज का तत्कालीन प्रभाव स्वाभाविक है। इस प्रकार समाज में हाने वाले सभी मानव व्यवहार अपराध की श्रेणी में नहीं माने जा सकते। वस्तुतः कुछ ऐसे व्यवहार जो समाज की दृष्टि से प्रतिकूल समझे जाते है तथा उनके द्वारा समाज को नुकसान होता है, उन्हें अपराध की श्रेणी में माना जाता है। इस प्रकार के अपराध करने पर समाज ने कुछ दण्ड भी निर्धारित कर दिये है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति भय के कारण अपराध की ओर प्रवृत्त न हो। प्रायः यह सार्वभौमिक है और किसी न किसी अवस्था में प्रत्येक समाज में सर्वत्र प्राप्य है।

क्या हम मनुष्य है ? सुनने पर यह सवाल अटपटा लगता है, चौंकाता है, पर साथ ही चिंतन के लिए प्रेरित भी करता है। पुराना समय बीत गया, पर सवाल पुराना नहीं हुआ। नया साल भी पुराना होने लगा, पर इस सवाल में वैसा ही नया और पैनापन है। दिल्ली में हुई दरिंदगी ने जिस तरह देश को दहला दिया, वह अभी तक हममे से कोई भूला नहीं है। सड़क से संसद तक अनेकों स्वर गूंजे। पत्र–पत्रिकाओं एवं टी.वी. चैनलों में बहुत कुछ लिखा और कहा गया। हरेक ने घटना को अपने नजरिये से देखा। किसी ने कहा समाज पुरूष प्रधान है, तो किसी न कहा सारा दोष व्यवस्था का है। किसी ने नए कानून बनाने की जरूरत बताई तो किसी ने कहा दरिंदो को फाँसी देना ठीक होगा।

यह घटना अकेली नहीं है, इसके पहले असम की राजधानी गुवाहाटी में 20–30 लोगों ने एक बेसहारा लड़की के साथ घोर दरिंदगी दरसायी। जब ऐसी

घटनाएँ होती है, तो नए–नए आँकड़े प्रस्तुत किये जाते है। ये आँकड़े कहते है, कि अपराध की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरों का निकार्ड कहता है कि 1953 से 2015 के बीच बलात्कार की घटनाओं में सभी अपराधों की तुलना में तीन और हत्याओं की तुलना में ढाई गुना बढोत्तरी हुई है।

जब बात अपराध की आती है तो इसे विभिन्न समुदायों विद्वानों नीति निर्धारकों द्वारा अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। परंतु यह समस्या संपूर्ण मनुष्यता की है। देश में अपराधों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि एक संगिन प्रश्न है। चोरी, ठगी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे अपराध विकराल रूप लेते जा रहे है। यह पाश्विक बर्बरता कभी भी कहीं भी देखने को मिल जाती है। कभी धर्म, मजहब व संप्रदाय के नाम पर हत्याएँ होती है, तो कभी मंदीर–मस्जिद जैसे पवित्र स्थलों के नाम पर। कुछ समय पहले जालंधर में एक घटना–घटी, जिसमें बुरूँडी से आए एक अश्वेत छात्र को कुछ पंजाबी छात्रों ने इतना पीटा की वह कोमा में पहुँच गया। अपराध के बढ़ते पेराग्राफ ने आज भारत को चारों ओर से घेरना प्रारम्भ कर दिया है।

अपराध जैसे गंभीर विषय पर विस्तृत चर्चा करना अनिवार्य बन गया है। अतः हम उन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जिससे यह विषय आईने की तरह साफ हो जाएगा।

अपराध की सामाजिक व्याख्या :– समाज के कुछ मूल्य होते है, जो सामाजिक रूढ़ियों, प्रथाओं और परम्पराओं पर आधारित होते है, जिनका उद्देश्य समाज का कल्याण ही होता है, जिनको परिपूर्ण करने हेतु कुछ विधान बनाये जाते है। जब इन्हीं प्रथाओं–परम्पराओं को भंग किया जाता है तो उसे सामाजिक अपराध की कोटि में गिना जाता है।

अपराध की व्यावहारिक व्याख्या :– मानव व्यवहार सामान्य और असामान्य प्रकार से स्वीकार किये जा सकते है। अतः अपराध वह क्रिया है, जिसमें सामान्य व्यवहार के प्रतिमान में विचलन उत्पन्न होता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवहारों के विरूद्ध किया गया कार्य अपराध की कोटि में माना जाता है। व्यावहारिक व्याख्या में सामूहिक अवरोध का भी पर्याप्त महत्व है। यह वह स्थिति है, जो कुछ क्रियाओं की स्वीकृति ओर कुछ को अस्वीकृति प्रदान करती है, जिसके आधार स्वरूप अपराधों का निर्धारण किया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार अपराध का वर्गीकरण

भारतीय दण्ड संहिता में अपराधों का वर्गीकरण सांख्यिकीय आधार पर ही किया गया है। यह वर्गीकरण अपेक्षाकृत व्यापक एवं उपयुक्त है, जिसमें सभी प्रकार के अपराधों को उचित रूप से रखा जा सकता है।

1. मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध :–

(।) मानव हत्या (ठ) भ्रुण हत्या (ब) शारीरिक चोट (क) अनुचित प्रतिरोध तथा बन्धन (म) आपराधिक बल प्रयोग (थ) आक्रमण (ळ)

भगाना (भ) बलपूर्वक अपहरण (प) बलात्कार (श्र) अप्राकृतिक अपराध

2. सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध :–

(।) चोरी (ठ) उद्दीपन (ब्लैकमेल) (ब) डकैती और लूटपाट करना (क) अतिक्रमण करना (म) धोखाधड़ी करना (थ) आपराधिक न्यास भंग (ळ) आपराधिक आपयोजन (भ) चोरी का माल खरीदना (प) शरात (श्र) कपट

3. लेख सम्बन्धी अपराध

(।) जालसाजी (ठ) गलत व्यापार चिन्हों का प्रयोग (ब) गलत सम्पत्ति चिन्हों का प्रयोग (क) जाली नोट छापना

4. मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराध

(।) मानहानि (ठ) आपराधिक धमकी

5. लोक शान्ति के विरूद्ध अपराध

(।) गैर कानूनी संघ की स्थापना करना (ठ) सार्वजनिक स्थान पर अशान्ति उत्पन्न करना (ब) वर्ग संघर्ष उत्पन्न करना (क) जुआघर, लॉटरी और अनैतिक स्थलों का निर्माण

6. राजकीय सेवकों के अपराध :–

भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार यदि कोई लोक सेवक या राजकीय व्यक्ति अनुचित तरीकों और विधियों से किसी प्रकार की भेंट उपहार और रिश्वत प्राप्त करता है अथवा कोई गैर–कानूनी कार्य करता है अथवा किसी भी प्रकार का अन्य व्यवसाय सेवा की अवधि में करता है, तो वह अपराधी माना जायेगा।

7. राज्य के विरूद्ध अपराध :–

संहिता के अनुसार भारतीय गणराज्य के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न करना, इसके विरूद्ध षड्यन्त्र रचना, राजद्रोह या देशद्रोह करना, गृहयुद्ध करना, जाली नोट सिक्के, डाक टिकट को बनाना तथा देश के खुफिया रहस्य विदेशों में भेजना आदि।

उपरोक्त अपराधों के साथ–साथ (1) बाल मजदूरी (2) दहेज प्रथा (3) दबंगता (4) गाली गलौज (5) मानसिक प्रताड़ना आदि भी अपराध की श्रेणी में आते है।

अपराध के कारण :–

किसी भी प्रकार के अपराध करने के पीछे कोई न कोई कारक अवश्य ही जिम्मेदार होते है। जिसमें आवश्यकता मजबूरी, परिस्थिति मानसिकता, हीन भावना बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, व्यसन आदि कहीं न कहीं कथित तौर पर जिम्मेदार होते है, भारत जैसे विशाल देश में एक तरफ तो जनसंख्या की विकराल होती भयावहता तथा दूसरी तरफ बढता अपराध संकट पैदा करता है। जिससे न सिर्फ देश को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता बल्कि आने वाले समय में लोगों का घर से निकलना मुश्किल प्रतीत होगा। यह होड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। समस्या की जड़ में जाकर अगर देखा जाए तो समूची मनुष्यता ही इस हेतु जिम्मेदार प्रतीत होती है। देश ने आर्थिक उन्नति खूब की परन्तु प्रशासनिक दबाव एवं अपराध की रोकथाम में आज भी हम बहुत पीछे है। संविधान में वर्णित धाराओं को यदि सही तरीके से लागू कर दिया जाए और कडाई से कानून पालन हो तो शायद आशा की किरण हमारे भारतीय समाज को देखने को मिल सकती है।

अपराध के कारणों को हम निम्न चार्ट के माध्यम से देख सकते है।

क्र.	जैविकीय कारण	मनोवैज्ञानिक कारण	आर्थिक कारण	सामाजिक कारण
1.	आयु	मानसिक हीनता	निर्धनता	सामाजिक कुरीतियाँ
2.	लिंग	भावात्मक अस्थायित्व	व्यापारचक्र	सामजिक विघटन
3.	शारीरिक विकास	हीनता की भावना	बेरोजगारी	चलचित्र
4.	शारीरिक भिन्नता	अव्यवस्था	अकाल	शिक्षा
5.	कमजोरी	चरित्रहीनता	धन का असमान वितरण	पुलिस
6.	वंशानुक्रमागत	–	व्यावसायिक मनोरंजन	युद्ध
7.	भौतिक कारण	–	–	न्यायालय
8.	–	–	–	सांस्कृतिक संघर्ष
9.	–	–	–	फैशन
10.	–	–	–	गंदी बस्तियाँ
11.	–	–	–	भ्रष्टाचार

(।) **अपराध के जैविकीय कारण :–** अनेक अपराधशास्त्रियों का दृढ मत है कि आपराधिक आचरण अथवा व्यवहार के लिये वस्तुतः भौतिक एवं शारीरिक कारक ही उत्तरदायी है।

उदा. अपराध के लिये आयु का विशेष महत्व होता है। बालकों में सर्वाधिक आपराधिक प्रवृत्ति 18–19 वर्ष की आयु पर पायी जाती है। ये छोटे–मोटे अपराध 25–26 वर्ष की आयु में गम्भीर रूप धारण कर लेते है। इसी प्रकार लिंग से इस तथ्य को जोड़कर देखने पर पुरूष स्त्रीयों की अपेक्षा ज्यादा अपराधोन्मुखी हो जाते है।

इसके अतिरिक्त शारीरिक विकास, शारीरिक भिन्नता, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, निराशा, विक्षोभ, अपमान, वंशानुक्रम एवं भौतिक कारण (ऋतु परिवर्तन, जलवायु) भी अपराध के कारण होते है।

(ठ) **मनोवैज्ञानिक कारण :–** विभिन्न प्रकार की मानसिक दशाएँ तथा बीमारियाँ अपराध हेतु प्रेरित करती है। बुद्धीहीन व्यक्तियों का मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है। अतः चिन्तनशील न होने के कारण अपराध कर बैठते है।

मनौवैज्ञानिक कारणों में मानसिक हीनता, भावनात्मक अस्थायित्व, हीनता की भावना, अव्यवस्था एवं चरित्रहीनता अपराध का कारण हो सकते है।

(ब) **आर्थिक कारणः–** प्रायः अपराध का मुख्य कारण आर्थिक ही होता है।

उदाहरण के तौर पर निर्धन समाज में आपराधिक प्रवृत्ति सर्वाधिक पायी जाती है, क्योंकि पैसा नहीं होने के कारण आवश्यक वस्तुएँ आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। जिससे मानसिक सन्तुलन बिगड़ सकता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है।

जब योग्यता होने पर भी काम नही मिलता तब बेरोजगारी के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ता है। अकाल की स्थिति में भी

चोरी एवं डाका डालने की घटनाएँ होती है। धन के असमान वितरण के कारण भी समाज में दो परस्पर विरोधी वर्ग एक धनी दूसरा निर्धन पैदा हो जाते है। जिस कारण वर्ग–संघर्ष हीनता एवं घृणा पैदा करता है।

(क) **सामाजिक कारण :–** वे सभी कारण जो समाज के अलग–अलग वर्गो द्वारा विधि के विरूद्ध किये जाते वे अपराध की श्रेणी में आते है। अपराध के निम्नलिखित सामाजिक कारण बताये जाते है।

1. सामाजिक कुरीतियाँ :– सामाजिक कुरीतियाँ भी अपराध को बढ़ावा देती है भारत में अनेक प्रकार के अपराध कुरीतियों के परिणाम कहे जा सकते है। जिसमें प्रमुख रूप से बाल–विवाह दहेज प्रथा, रूढ़ीवादिता, अन्धविश्वास आदि है। इसमें बाल–विवाह और दहेज प्रथा ऐसी कुरीतियाँ है, जिनके दुषित परिणाम आए दिन सामने आते रहते है। बहुत सी लड़कियाँ आत्महत्या कर बैठती है। दहेज न मिलने पर सास एवं पति, पत्नि की हत्या कर देते है। बाल–विवाह के कारण लड़कियाँ छोटी आयु में विधवा हो जाती है। और अंततः वैश्यावृत्ति का शिकार बन बैठती है।

2. सामाजिक विघटन :– सामाजिक विघटन से समाज में सदस्यों के मध्य सम्बन्ध छिन्न–भिन्न हो जाते है। पदों तथा भूमिकाओं में अस्पष्टता होने के कारण व्यक्ति का व्यवहार समाज के अनुरूप नहीं रह पाता है। साथ ही सामाजिक विघटन से पारिवारिक व वैयक्तिक विघटन प्रारम्भ हो जाता है और ऐसी दशा में अपराध वृद्धि होना स्वाभाविक बात हो जाती है।

3. चलचित्र :– चलचित्र और दुरदर्शन आधुनिक युग में मनोरंजन के प्रमुख साधन है। आज आधुनिक जनसमूह के समक्ष शीघ्रता से अभिव्यक्ति का यह सफलतम साधन है, जिसने मानव के ज्ञान में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पर इसके दुष्परिणाम भी सामने है। यह बच्चों तथा युवकों के अपरिपक्व मस्तिष्क पर गलत प्रभाव डालते है। जिस कारण अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

उदाहरण – चलचित्रों के संवाद और गीत अत्यन्त उत्तेजक होते है, जो बच्चों के दिल एवं दिमाग पर बुरा प्रभाव डालते है।

चलचित्र के माध्यम से पात्रो की वेशभूषा एवं वासनामय प्रेम की नई–नई विधियों का प्रयोग होता है तथा अत्यधिक मात्रा में अपराध प्रदर्शन होता है, जिससे बच्चों और युवाओं में चरित्र हीनता, काम के प्रति लगाव, अपराधिक प्रवृत्ति जन्म लेती है।

4. शिक्षा :– जिस प्रकार बच्चे के नव निर्माण हेतु परिवार का स्थान होता है, उसी प्रकार बालक का चतुर्दिक विकास, अच्छी शिक्षा के कारण सम्भव हो पाता है। आजकल माता–पिता अपने कार्यो में इतने व्यस्त हो जाते है, कि उन्हें अपने बालक की गति–विधियों से कोई सरोकार नहीं रह जाता वह जब गलत राह पर चल देता है, तब अपराध प्रवृत्ति का जन्म होता है।

5. पुलिस :– पुलिस का राज्य अभिकर्त्ता के रूप मे महत्वपूर्ण स्थान होता है, किन्तु अनेक ऐसे कारण है, जिसमें पुलिस भी अपराध हेतु उत्तदायी है, जिसमें – (1) कर्तव्य की अपेक्षा कागजी कार्यवाही पर अधिक ध्यान दिया जाता है, परिणाम स्वरूप आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। (2) अपराधों को संरक्षण देने वाले व्यक्तियों का पुलिस से संबंध होता है, पुलिस अपराधों को जानते हुए भी कतिपय कारणोवश कार्यवाही नहीं करती है। इसके अलावा राजनैतिक दल पुलिस पर अपना दबाव रखते है। अतः उचित कार्यवाही असम्भव हो जाती है।

6. युद्ध :– युद्ध मानवता के लिये प्रत्येक दृष्टि से अपराध होता है। मानवता का सर्वाधिक अहित युद्धो के द्वारा ही हुआ है। युद्धो का प्रभाव अपराधों पर भी पड़ता है। क्योंकि युद्ध राष्ट्र को विघटित कर देता है। इससे देश में अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई आदि समस्याएँ पैदा होती है, जो अपराधों में वृद्धि करती है। युद्ध से विधवाओं की संख्या में वृद्धि के कारण उनकी समस्याएँ उत्पन्न होती है और यौन अपराध, अवैध मातृत्व एवं मृत सैनिकों की विधवा एवं बच्चों के भावी निर्देशन की समस्याएँ उत्पन्न होती है।

7. न्यायालय :– न्यायालय के माध्यम से सदैव निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा की जाती है, परंतु न्यायाल का कार्य भी मनुष्य की भावनाओं द्वारा ही प्रभावित होता है। जिस समय न्यायालय मानवीय कमजोरी के कारण न्याय प्रदान करने में असमर्थ रहते है तब यह सबसे बड़ा अपराध होता है।

8. सांस्कृतिक संघर्ष :– कभी–कभी एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के साथ सांस्कृतिक संघर्ष या तनाव प्रारम्भ हो जाता है और व्यक्ति इस भ्रम में पड़ जाता है कि उसको क्या करना है तथा क्या नहीं करना है। ऐसी अस्थिरता एवं अनिश्चितता की स्थिति में व्यक्ति अपराध कर बैठता है।

9. फैशन :– फैशन का निःसन्देह प्रत्येक समाज में बड़ा ही महत्व होता है, फैशन की एक सीमा होनी चाहिए। मात्र फैशन के लिए नहीं जीना चाहिए आजकल चुस्त पोशाक द्वारा अंगों का प्रदर्शन या उन्हें खुला या अधखुला रखना फैशन बन गया है। फैशन का मानव–मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे अपराधी प्रवृत्ति का विकास होता है।

10. गन्दी बस्तियाँ :– बड़े–बड़े औद्योगिक महानगरों में जनसंख्याधिक्य के कारण आवासीय अभाव होता है, तथा इसके फलस्वरूप ऐसे स्थानों में विभिन्न प्रकार की गन्दी बस्तियों, झोपडपट्टी– अहाते तथा मोहल्ले विकसित हो जाते है। इन गंदी बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्ति सामान्य कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के नियमों को भंग करते है। अवैध शराब बिक्री चोरी करना, चोरी का माल खरीदना–बेचना, आवारा गर्दी करना, जेब काटना,

शान्ति भंग करना आदि सामान्य अपराध इन बस्तियों की उपज है।

11. भ्रष्टाचार :– भारत में भ्रष्टाचार एक अपराध के रूप में उभरकर सामने आया है। बर्लिन स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटर नेशनल ने 1 दिसम्बर 2011 को अपना वार्षिक सर्वेक्षण 2011 जारी किया थ। जिसमें 183 देश की सुची में भारत को 95 वे स्थान पर तथा पड़ोंसी देश चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान को क्रमशः 75, 86, 120, 134 वे स्थान पर रखा है। यह संस्था विश्वभर में जमीनी स्तर पर कार्य करती है और इसके लिए हर वर्ष भ्रष्टाचार सुचकांक जारी करती हे। ''एंटी करप्शन ग्रुप'' द्वारा जारी ताजा ''करप्शन परसेप्शन इंडेक्स'' में भारत ने पिछले साल के मुकाबले में गिरावट दर्ज की है। जहाँ पिछले साल भारत को 10 में से 3.3 अंक मिले थे। वहीं इस बार 3.1 अंक मिले जो एक नकारात्मक संकेत है। इस समय देश में ऐसा माहौल बन गया है, मानो भ्रष्टाचार राजनेताओं, नौकरशाही और न्यायाधीशों में समाया हो। 1991 से पहले बड़े–बड़े घोटालो में बोफोर्स का नाम आता है, सेना के लिए जीप खरीद का घोटाला, मुंदडा काण्ड, इन सबमें कोई 500 करोड़ रूपये से ज्यादा को गोलमाल नहीं था। 1991 के बार हर्षद मेहता शेयर घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला इन सबमें 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में 172000 करोड़ की राशि की सरकार को हानि हुई।

उपरोक्त वर्णित सभी कारण किसी न किसी रूप में अपराध को बढ़ावा देने में सहयोगी सिद्ध होते है। अपराध एक ऐसी भयावह प्रवृत्ति है, जिसका न कोई जाति वंश, समाज, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग, भाषा, वेशभूषा नहीं होता है।

शोध अध्ययन –

अपराध विषय बहुत ही व्यापक है, जिस पर शोध अत्यन्त कठिन कार्य है। विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत महू तहसील ग्रामीण एवं इन्दौर शहर के पुनर्वास को लिया गया जिसमें बाईग्राम, ग्वालू, गोल–खेडा, जगजीवन ग्राम, सीतापाट, कमदपुर, कोपरबेल, नाहर खोदरा, असरावद खुर्द, अर्जुनपुरा (आम्बेडकर योजना के अन्तर्गत इन्दौर शहर के लाल बाग पैलेस के सामने दिया गया पुनर्वास) आदि प्रमुख है। जिसमें देपालपुर तहसील के बिरगोदा, काई, खिमलावदा, बछौड़ा, नौलाना, रलायता, बनेड़िया, आगरा, चिमनखेड़ी, दौलताबाद, सांवेर तहसील के कुडाना, मगरखेडी, चंद्रावतीगंज, पोटलोद, अजनोद, धतूरिया, कछालिया, पालकांकरिया, बारोली, हातोद तहसील के सोनगिर, मुरखेड़ा, हसनाबाद, कांकरियाबोर्डिया, बड़ी कलमेर, गुर्दाखेड़ी, मिर्जापुर, इंदौर तहसील के असरावद खुर्द, बांक, दूधिया, कम्पेल, पिवड़ाय, हरियाखेड़ी, सोनवाय, बिलावली, मोरोद व काजीपलासिया के 300 उत्तरदाताओं से अनुसूची के माध्यम से अपराध विषय पर 14 प्रश्न पूछे गये। शोध कार्य में पाया गया कि अपराध किसी न किसी रूप में विद्यमान जरूर है। उत्तरदाताओं से जो तथ्य निकलकर सामने आये उनको शोधार्थी द्वारा विधिवार प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. ग्रामीण व शहरी इलाकों में अपराध प्रवृत्ति में अन्तर पाया गया ग्राम में सबसे ज्यादा पाये अपराधों में बाल मजदूरी, साधारण मारपीट, गाली–गलोज, भूमाफिया, चोरी, पशुचोरी, शहरी क्षेत्र में हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, खूनी संघर्ष, भ्रुण हत्या आदि पाये गये है। शोध अध्ययन में सम्मिलित 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उक्त प्रकृति के अपराधों को व्यवहारिक रूप से दृष्टिगत पाया है।

2. दहेज प्रथा दोनों क्षेत्रों में समान रूप से पाई गयी। शोध अध्ययन में सम्मिलित 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बढ़ते भौतिकतावाद के प्रभाव के कारण महिला के प्रति आर्थिक अपराध और दहेज प्रताड़ना के मामलों में वृद्धि होना बताया है।

3. शोध अध्ययन में सम्मिलित 93 प्रतिशत लोगों ने कहा वे अपराध के बारे में जानकारी रखते है।

4. ग्राम में प्रायः छोटे अपराध ज्यादा होते है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश उत्तरदाता 90 प्रतिशत की मान्यता थी कि अशिक्षा व वैचारिक भिन्नता के कारण इस प्रकृ ति के अपराध होते हैं।

5. शोध अध्ययन में सम्मिलित 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार जुएँ के रूप में ताश खेली जाती है, जो कभी कभी आर्थिक व छोटी मारपीट का रूप ले लेती है।

6. शोध अध्ययन में सम्मिलित जनसंख्या की दृष्टि से बड़े गांव के उत्तरदाताओं में से 33 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि ग्राम में उच्च वर्गो जैसे पटेल, चौधरी, सरपंच आदि दबंगता दिखाकर निम्न वर्ग को मानसिक रूप से प्रताडित करते हैं।

7. जनसंख्या की दृष्टि से बड़े गांव में भू–माफियों द्वारा जबरन भूमि पर कब्जा करने की वारदातें पाई गयी।

8. शोध अध्ययन में सम्मिलित 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण कृषि क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी पाई गयी, जिसको हली एवं गुवाल नाम दिया जाता है। उनसे समय पर कार्य नहीं करने पर ब्याज एवं दण्ड का प्रावधान पाया गया।

9. 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बाल विवाह को गलत नहीं ठहराया उनका मानना था कि जल्दी शादी होने से माता–पिता को मानसिक शांति मिलती है तथा लड़के–लड़की आवारा होने से बचते है।

10. 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि पुलिस का भरपुर सहयोग मिलता है, किन्तु उचित गवाह नहीं मिल पाने के कारण अपराधी छूट जाते है। पैसे वाले तथा नेता लोग मनमाने तरीके से अपराध करके आरोप मुक्त हो जाते है और पुलिस उनकी सहायता करती हैं ।

11. शोध अध्ययन में सम्मिलित 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सरकारी योजनाओं में भी पर्याप्त भ्रष्टाचार देखने को मिला जो कि एक अपराध है, जिसमें इंदिरा आवास, मनरेगा, पंच परमेश्वर, लोकनिर्माण पेयजल योजना, कृषि विपणन, सब्सिडी प्रमुख है जिसमें उन लोगों को ही लाभ मिलता है, जो राजनीतिक दबदबा रखते है।

12. 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व वर्ण व्यवस्था आज भी प्रासंगिक है

उत्तरदाताओं की मान्यता थी कि वे ग्रामीण परंपराओं के अनुसार ही लोक व्यवहार करेंगे। अस्पृश्यता भी बहुत मात्रा में देखने को मिली जो कि एक अपराध के रूप में वर्णित है। शासन द्वारा अस्पृश्यता का अंत करने के बाद भी इसकी सफलता न के बराबर है।

13. शोध के दौरान एक गांव ऐसा भी पाया गया,जिसमें 21 वी सदी में भी छुआछूत भारी मात्रा में देखा गया तथा सभी समुदायों के अलग–अलग मंदीर है। और तो और एक ही जाति के लोगो के तीन मंदीर है। यह गांव इन्दौर से मात्र 10 कि.मी.दूर है असरावद खुर्द। जिसमें राजपूत, जाटव, मोची, मालवीय, चमार, भील, ब्राम्हण आदि जातियाँ है।

अपराध को कम करने हेतु अध्ययनगत सुझाव

1. सम्पूर्ण समाज में अपराधियों के उपचार, सुधार तथा उनके सामाजिक पुर्नस्थापन की एक ठोस एवं व्यावहारिक योजना बनाई जानी चाहिए तथा पुलिस विभाग को इसमें अपना अपेक्षित योगदान करना चाहिए।

2. सम्पूर्ण भारत में न्याय व्यवस्था को त्वरित और मितव्ययी बनाना चाहिए तथा न्यायालय को यह मानकर ही दण्ड प्रदान करना चाहिए कि प्रत्येक अपराधी परिस्थितिवश अथवा सामाजिक कारणों के फलस्वरूप ही अपराधी बनता है।

3. सिनेमा, रेडियो तथा दुरदर्शन पर प्रदर्शित वृत्तचित्रों और अन्य समस्याओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि उनको देखकर सामान्य व्यक्ति अपराधों से घृणा अनुभव करें तथा यथा सम्भव उनसे पृथक ही रहें।

4. सरकार को राजनैतिक भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिये भी एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। वर्तमान राजनैतिक दलों में व्याप्त स्वार्थपरता, गुटबन्दी तथा दल–बदल भी विभिन्न प्रकार के अपराधियों के लिये उत्तरदायी माना जाता है।

5. सरकार को शीघ्र एक कानून बनाकर पूरे देश में मद्यपान पर कड़े प्रतिबन्ध लगा देने चाहिए तथा यह भी प्रयास करने चाहिए कि विद्यार्थी वर्ग तो इनके सेवन से सुरक्षित ही रहे।

6. समाज में व्याप्त निर्धनता तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिये।

7. विद्यालयों तथा कॉलेजों में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे समाज में एकरूप और शान्तिप्रिय नागरिकों का निर्माण हो सके।

8. समाज से यथाशीघ्र गन्दी बस्तियों को निर्मुल कर दिया जाना चाहिए। सरकार तथा अन्य समाजसेवी संस्थाओं को आगे बढ़कर इनमे निवास करने वाले व्यक्तियों की आवासीय समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

9. प्रोबेशन तथा पैरोल व्यवस्था को और अधिक उदार बनाना चाहिए तथा इस पद्धति से रिहा व्यक्तियों को समाज में पुनः संस्थापित करने के लिये सरकार और सामाजिक संस्थाओं को विशेष प्रयास करना चाहिए।

10. यथा सम्भव सामान्य कोटि के अपराधियों को अभ्यस्त और पेशेवर अपराधिकयों की संगति से पृथक रखना चाहिए।

11. माता–पिता तथा अभिभावकों को भी अपने किशोरावेश के क्रिया–कलापों, दिनचर्या आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत विकास में उनकी अति विशिष्ट भूमिका होती है।

12. लोगों में जन–जागरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए। जिनके माध्यम से अपराध की विभीषिका एवं परिणाम के बारे में जानकारी देना चाहिए।

13. ऐसे राजनेताओं को जो अपराध के संरक्षण प्रदान करते है, चुनावों में निर्वाचित नहीं होने देना चाहिए।

14. जनता द्वारा पुलिस को अपराधी को पकड़वाने में मदद करनी चाहिए।

15. देश में समभाव, सहचार्य एवं भाईचारे की भावना को बढ़ाने हेतु बुद्धजीवी वर्ग को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर हटकर सोचना चाहिये।

उपरोक्त तरीको को अपनाकर हम अपने आस–पास अपराध की रेाकथाम कर सकते है।

संदर्भ सूची –

1. सिंह, रामगोपाल (2006), सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर पृ. 13

2. गुप्ता, राजेश (1994) डॉ. अंबेडकर और सामाजिक न्याय, दिल्ली पृ. 64

3. शर्मा, मंजू (2009) नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, मार्क प्रकाशन, जयपुर पृ. 102

4. नाराणी, प्रकाशनारायण (2012) कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बुक इनक्लेव, जयपुर, पृ. 69

5. अखिलेश एस. (2014) भारत में नगरीय समाज, गायत्री पब्लिकेशन पृ. 172

6. दैनिक भास्कर, दिनांक 27–08–2015

7- nSfud ubZnqfu;k] fnukad 14&12&2015

8- www.crimebranchdata.in

9- www.crimeinindore.ac.in

10- www.youthcrime.ac.in

11- www.domesticviolence.ac.in